राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ. 89 / संस्था. / LM-1(8) / 2017–18 जयपुर, दिनांकः 19.06.2017

विज्ञप्ति

उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत पूर्व में जारी विज्ञप्ति कमांक एफ89(74)उ.मा. / LM / स्थापना / 2016 जयपुर दिनांक 21.03.2017 के अनुक्रम में पुनः विज्ञप्ति जारी की जा रही है, इस अनुक्रम में विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत कार्य करने के लिए राजस्थान राज्य, केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार, P.S.U, केन्द्र शासित क्षेत्र(UTs) तथा स्वायत शासन संस्थाओं के इच्छुक कार्मिको को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है, पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	स्वीकृत पदनाम	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे	रिक्त पद
1	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान	9300–34800	3600 / –	27

उपरोक्त रिक्त पदों के लिए योग्यता एवं शर्ते निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

1 विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011 के तहत् वर्णित योग्यता निम्न प्रकार निर्धारित है:–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान जिसमें भौतिक शास्त्र (एक विषय के रूप में रहा हो), प्रौद्योगिकी इंजीनियरी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ तीन साल का व्यावसायिक अनुभव हो, और

(ख) राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो।

2 विधिक मापविज्ञान अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को उसके पदस्थापन (पोस्टिंग) से पहले भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची में 04 माह का आधारभूत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

3. निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों को किसी भी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा तथा जो वेतन उन्हें मूल विभाग में प्राप्त होता है वहीं देय होगा।

4. निरीक्षक विधिक मापविज्ञान के सेवा नियम जारी होने तथा नियमित भर्ती होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों को पुनः संबंधित विभाग को लौटा दिय जायेगे।

5. आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होने पर प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त शैक्षिणक योग्यता अर्हता–धारक इच्छुक कार्मिक अपने आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष की अभिशंषा सहित निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग एवं पदेन् नियंत्रक